# समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक /2017 R 324-I-17

भगवन्त सिंह उर्फ राजू पुत्र श्री विजय सिह ठाकुर

लुहुरगुबा तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म.प्र. ।

..आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ........अनावेदक

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के तहत

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा उक्त भूमि ग्ग्रम जेरा सरकिल मोहनगढ तहसील जतारा जिला टीकमगढ की भूमि सर्वे क्रमाक 139 रकवा 1.323 को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.10.984 को भूमि स्वामी बसोरा तनय हल्का ढीमर से कय किया था क्रय करने से पश्चात विधिवत एंव नियमानुसार नामांतरण पंजी पर दिनांक 16.2.1985 से नामांतरण होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे अतिरिक्त कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा उक्त प्रकरण को स्वयम निगरानी क 359/स्व. निगरानी/1985 –1986 में लेकर आदेश दिनांक 7.2.1986 में आलोच्य आदेश पारित कर उक्त नामांतरण आदेश निरस्त किये गये जिस कलेक्टर महोदय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रकरण क 442/अ–19/86–87 प्रस्तुत की गई जिसमें आवेदक को स्थगन भी 4.8.1987 को प्राप्त हुआ उसके वाद आयुक्त सागर द्वारा उक्त प्रकरण को गुण दोषो पर सुनवाई हेतु आदेश दिनांक 24.12.1988 से प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । जिस अतिरिक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय से प्रत्याविर्तत आदेश के पालन में अतिरिक्त कलेक्टर टीकमगढ द्वारा आवेदक को कारण वताओ नोटिस दिनांक 25.11.1991 को जारी किया गया जिसमें आवेदक द्वारा विधिवत रूप से जवाव भी दिनांक 19.2.1992 को प्रस्तुत किया गया हे जो रिकार्ड पर संलग्न है।

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी 324–एक / 2017 जिला–टीकमगढ़

**भगवन्त सिंह विरूद्ध शासन**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24–09–18 | प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक भगवन्त सिंह एवं अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा प्रकरण में कोई रूचि न लेने के कारण प्रकरण अरूचि में समाप्त किया जाता है।<br>2/ प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>24.9.18<br>(आर.के. जैन)<br>सदस्य | |